"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 मार्च 2013—फाल्गुन 14, शक 1934

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-5/15-2/2005/2.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र.17 सन् 1961) की धारा 24 (ख) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में व्यक्तिगत अंशधारिता की अधिकतम सीमा उक्त बैंक की प्रदत्त अंशपूंजी के 5% तक निर्धारित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्रमांक एफ 15-5/15-2/2005/2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-5/15-2/2005/2 दिनांक 05-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th March 2013

NOTIFICATION

No. F 15-5/15-2/2005/2.— In exercise of the powers conferred by the proviso the section 24(b) of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, specifies that in respect of urban co-operative banks in the state of Chhattisgarh maximum individual share holding shall be limited of to 5% in the share capital of the said banks.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
L. S. KEN, Joint Secretary

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.